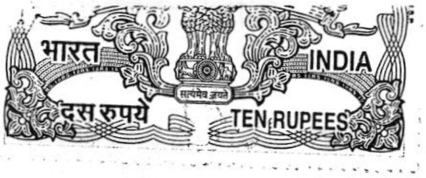

220

न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर मध्य प्रदेश नवीन इ-769/17

प्र0 क्र0 /2017 रिवीजन R 769 I-17

शैलेन्द्रसिंह पुत्र दशरथसिंह जाति बघेल धंधा खेती निवासी ग्राम उकायला तह0 बासोदा जिला विदिशा म0प्र0 ---

रिवीजनकर्ता

बनाम

1:- देवानंद पुत्र हरिनारायण जाति जोशी

2:- सुनीताबाई पुत्री हरिनारायण जोशी

3:- प्रभाबाई पुत्री हरिनारायण जोशी

निवासीगण ग्राम उकायला तहसील गंज बासोदा जिला विदिशा म0प्र0 ------ प्रति, रिवीजनकर्ता

Sd/ Chaturvedi 01/3/17

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता खिलाफ आदेश तारीखी 13/2/2017 न्यायालय श्री नायब तहसील दार तहसील गंज बासोदा जिला विदिशा कृत अम्बानगर - प्र0 क्र0 6/अ-70/2016-17 बमामले देवानंद बनाम शैलेन्द्रसिंह ग्राम उकायला तहसील बासोदा जिला विदिशा म0प्र0

श्रीमान महोदय

रिवीजन के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक ने ग्राम उकायला की आराजी नं0 443/4 रकबा 1.046हे0 443/5 रकबा 0.209हे0 के सम्बंध में कब्जा वापिसी का दावा धारा 250 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है । अनावेदक तामील बाद उपस्थित हुआ उपस्थित होकर एक आवेदन इस बावत पेश किया कि जिस भूमि के सम्बंध में कब्जा वापिसी का आवेदन पेश किया है उसी भूमि के सम्बंध में हुये नामान्तरण के विरूद्ध माननीय कमिश्नर महोदय

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-769-एक/17 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	